रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052023-245936
CG-DL-E-18052023-245936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2023/वैशाख 28, 1945
No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2023/VAISAKHA 28, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

सा.का.नि. 374(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 43कक के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"43कक. कोई पुरूष सरकारी कर्मचारी (अप्रेंटिस सहित), जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, दत्तक ग्रहण स्वीकार करने से पूर्व पोषक देखरेख करने या एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से दत्तक लेने पर, यथास्थिति, दत्तक स्वीकार करने से पूर्व पोषक देखरेख करने या वैध रूप से दत्तक लेने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर 15 दिन की अवधि के लिए पैतृत्व छुट्टी प्रदान की जाएगी :

S. E (Rules) 64|3034 8.06.2023

परंतु ऐसे मामलों में, जहां किसी बच्चे के विधिपूर्ण दत्तक ग्रहण पर पूर्व दत्तक ग्रहण पालन पोषण नहीं किया जाता है, वहां पहले की उपयोग की जा चुकी पैतृत्व छुट्टी, ऐसे पुरूष सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य प्रकार की उपलब्ध जमा छुट्टी से काटी जाएगी ।"।

3. उक्त नियम के नियम 43ख के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"43ख. महिला सरकारी कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, दत्तक ग्रहण से पूर्व पोषण देखरेख स्वीकार करने पर या एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से दत्तक लेने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख या विधिपूर्ण दत्तक में बच्चे को स्वीकार करने के तुरंत पश्चात् 180 दिन की अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की जा सकेगी:

परंतु ऐसे मामलों में, जहां किसी बच्चे के विधिपूर्ण दत्तक द्वारा दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख का पालन नहीं किया जाता है, पहले से ली गई छुट्टी को ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी के खाते में उपलब्ध किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से काट लिया जाएगा ।"।

[फा. सं. ए-24011/6/2023-स्था.(छुट्टी)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में संख्यांक का.आ. 940, तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 14 दिसंबर, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1209(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

GSR. 374(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely: -

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 43-AA, in sub-rule (1), for the portion beginning with the words "surviving children, on valid adoption" and ending with the words "six months from the date of valid adoption", the following shall be substituted, namely: -

"surviving children, on accepting a child in pre-adoption foster care or on valid adoption of a child below the age of one year, may be granted Paternity Leave for a period of 15 days, within a period of six months, from the date of accepting the child in pre-adoption foster care or on valid adoption, as the case may be:

Provided that in a case where the pre-adoption foster care is not followed by valid adoption of the child, the Paternity Leave already availed shall be debited from any other kind of leave available to the credit of such male Government Servant".

3. In the said rules, in rule 43-B, in sub-rule (1), for the portion beginning with the words "surviving children, on valid adoption" and ending with the words "after the date of valid adoption", the following shall be substituted, namely: -

"surviving children, on accepting a child in pre-adoption foster care or on valid adoption of a child below the age of one year, may be granted child adoption leave, by an authority competent to grant leave, for a period of 180 days, immediately after accepting the child in pre-adoption foster care or on valid adoption, as the case may be:

71c

Provided that in a case where the pre-adoption foster care is not followed by valid adoption of the child, the leave already availed shall be debited from any other kind of leave available to the credit of such female Government Servant".

[F.No. A-24011/6/2023-Estt. (Leave)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 8th April, 1972 *vide* number S.O. 940, dated the 15th March, 1972 and last amended *vide* notification number G.S.R. 1209(E), dated the 11th December, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section III, Sub-section(i), dated the 14th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.